उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या–07/2021/आई/91548/2021-फा0नं0-10-22099/1401/2020-22

लखनऊ दिनांक 25 अगस्त, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि -पत्र

राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति किये जाने संबंधी कार्यालय-ज्ञाप संख्या–6/2021/22099/1401/2020-वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग, दिनांक 24 अगस्त, 2021 में अंकित कार्यालय-ज्ञाप संख्या को निम्नानुसार संशोधित समझा जाये-

कार्यालय-ज्ञाप की वर्तमान संख्या	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित संख्या
उत्तर प्रदेश शासन संख्या–6/2021/22099/1401/2020-वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2021	उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या–6/2021/आई/91291/2021/फा0न0-10-22099/1401/2020-22 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2021
Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No. 6/2021/22099/1401/2020- Finance Section-22- Finance Department Dated: Lucknow :24 August, 2021	Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No. 6/2021/I/91291/2021/File No-10-22099/1401/2020-22 Dated : Lucknow :24 August, 2021

भवदीय

नील रतन कुमार

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सेवा में,

(1)- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

(2)- महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3)- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(4)- समस्त राज्यो के महालेखाकार।

(5)- समस्त राज्यो के प्रमुख सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in